न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

<u>बईजलास श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी, आई.ए.एस.</u>

मुकदमा सं. 15/2019

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, पिण्डवाडा ।

बनाम

अप्रार्थी

श्री सवाई सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूरोहित निवासी रोहिडा, तहसील पिण्डवाडा, जिला–सिरोही ।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्रीमती निलीमा शर्मा, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही

निर्णय

दिनांक 10.4.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.04.2018 को जिला रसद अधिकारी सिरोही के नेतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षक, पिण्डवाडा द्वारा अप्रार्थी के रेस्टोरेन्ट पर जॉच करने पहुॅचने पर रेस्टोरेन्ट मे 15.7 एवं 15.6 किलो के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त 2 गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहा अतः उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

प्रार्थी की ओर से श्रीमती निलीमा शर्मा, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई । प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय मे किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है ।

जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जावे ।

मैने प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय मे किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर एवं उसमें भरी हुई गैस को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है । जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिये गये 2 गैस सिलेण्डर में भरी हुई गैस को उपभोक्ताओं को वितरण करवा कर उससे प्राप्त राशि उचित लेखा मद में राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करे एवं खाली गैस सिलेंडर जो गैस कम्पनी की अमानत है को संबंधित गैस कम्पनी बी.पी.सी. को 1 एवं इण्डेन को 1 सिलेंडर नियमानुसार सुपुर्द करानें की कार्यवाही करे ।

निर्णय आज दिनांक 10.4.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Scanned by CamScanner